न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान गुरदर्शन सिह बनाम तरणप्रीत सिह

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 211 /2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
27.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार इस प्रार्थना–पत्र का एक माह के भीतर निस्तारण नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा दिनाक 17.07.2023 को प्रस्तुत कर दिया है। अतः डिले कन्डोन किया जावे। अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अपीलाण्ट के आधिपत्य एवं धारण की आराजी है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट के आधिपत्य एवं धारण की आराजी को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो गया है। स्वर्गीय करतार सिह के नाम दर्ज आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कलॉस –I का कोई वारिस मौजूद नहीं होने के कारण क्लॉस–II की उपचरण –I का भी कोई वारिस नहीं होने के कारण उपचरण –II(3) के अनुसार अपीलाण्ट करतार सिह का भाई होने के नाते आराजी की घोषणा प्राप्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

करने का अधिकारी है व रेस्पोडेण्ट सं0 1 तरणप्रीत सिह हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के शैड्यूल में क्लास 1 व क्लास –II किसी उपचरण के अधीन नहीं आता है इसलिए किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। करतार सिह के नाम महता तहसील संगत जिला बठिण्डा में स्थित सम्पति का नामान्तरण विस्तृत जांच उपरान्त हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट के नाम जरिये इंतकाल सं0 5875 दर्ज हो चुका है। इसलिए स्व0 करतारसिंह के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेण्ट सं0 1 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना पारित कर दिया गया है। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है, जिसे 30 दिन के भीतर निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उसे निस्तारित नहीं किया अन्य पक्षकारें की तलबी करवाई। अपीलाण्ट आक्षेपित आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है। अतः आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के आधिपत्य एवं धारण में की आराजी है। स्वर्गीय करतार सिह के नाम दर्ज आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 1 तरणप्रीत सिह हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के शैड्यूल में क्लास 1 व क्लास –II किसी उपचरण के अधीन नहीं आता है इसलिए रेस्पोडेण्ट सं0 1 का स्व0 करतार सिंह के नाम दर्ज आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कलॉस –I का कोई वारिस मौजूद नहीं होने के कारण व क्लॉस–II की उपचरण –I

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

का भी कोई वारिस नहीं होने के कारण उपचरण –II(3) के अनुसार अपीलाण्ट करतार सिह का भाई होने के नाते आराजी की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है व करतार सिह के नाम महता तहसील संगत जिला बठिण्डा में स्थित सम्पति का नामान्तरण विस्तृत जांच उपरान्त हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट के नाम जरिये इंतकाल सं0 5875 भी दर्ज हो चुका है। आक्षेपित आदेश से अपीलाण्ट अपनी भूमि के उपयोग उपभोग व विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने से वंचित हो रहा है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के विन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण 30 दिवस के भीतर करना चाहिए जो नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ प्रकरण सं0 105/2023 अनवान तरणप्रीत सिंह वनाम गुरदर्शन सिह आदि में पारित आदेश दिनांक 15.05.2023 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। करतार सिह के नाम दर्ज चक 2 एमओडी "ए" व चक 2 एमओडी "बी' की आराजी का पक्षकारान विधि अनुसार विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़